



खाय, नागरिक आपूर्ति एवं उपचोकता संरक्षण विभाग

रवी उपार्जन वर्ष 2024-25 में समर्थन मुद्र्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन आवेदन

आवेदन क्रमांक दिनांक

1. पंजीयन केलद का नाम पंजीयन केलद क्रमांक

2. किसान का नाम (अंगौली में) पिता/पति का नाम

3. किसान का नाम (हिन्दी में) पिता/पति का नाम

4. सिंग- Male Female

5. नियासी शाम/वाई का नाम शाम पंचायत/वाई

6. तहसील जिला

7. घर्ग (अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/अन्यपिछडावर्ग/सामाज्य)

8. किसान का आधार नं. (12-डिजिट)

- आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में विक्रय की गई उपज का भुगतान किया जाएगा। अतः बैंक में जाकर खाते को आधार नंबर से अनिवार्य रूप से लिंक कराएं एवं बैंक के माध्यम से डाटा NPCI को प्रेषित कराएं।

9. बैंक का नाम शाक्या का नाम

बैंक खाता संख्या

आई.एफ.एस.सी.कोड नं.

10. किसान का मोबाइल नंबर (+91 या 0 आवश्यकता नहीं है)

- यह मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। इसके आधार पर अस्थाई पंजीयन होगा, पुष्टि (SMS/OTP) से की जायेगी।

11. किसान की समय सदस्य आई.डी.क्रमांक (09 डिजिट)

12. किसान की स्वयं की भूमि का विवरण

(रक्का हैक्टेयर/भाजा विंटल में)

राज का नाम	फसल का नाम	फसल की विवर	मूल भूमि स्थानी की जून पुस्तिका नं.	खलाफ नं.	रक्का	बोई गई फसल का रक्का	कुल संभागित उपज	नंदी/उपार्जन केन्द्र में विक्रय की जाने वाली			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. सिक्की/बटाई पर काशत ली गई भूमि का विवरण

(रक्का हैक्टेयर/भाजा विंटल में)

राज का नाम	फसल का नाम	फसल की विवर	मूल भूमि स्थानी की नाम एवं जून पुस्तिका नं.	खलाफ नं.	रक्का	बोई गई फसल का रक्का	कुल संभागित उपज	नंदी/उपार्जन केन्द्र में विक्रय की जाने वाली			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मूल भू-स्थानी का नाम एवं पता.....

सिकमी अनुबंध का दिनांक

14. बनाधिकार भूमि पर थोई गई फसल का विवरण-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खाता क्रमांक/पट्टा	फसल का नाम	फसल की किस्म	थोई गई फसल का रकवा हेक्ट. में		संभावित विक्रय की 02 दिनांक	
						सिंचित	असिंचित	दिनांक 01	दिनांक 02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15. फसल विक्रय करने हेतु अधिकृत नामिनी का नाम.....

16. अधिकृत नामिनी का आधार नंबर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17. नामिनी का मोबाईल नंबर

--	--	--	--	--	--

18. पंजीयन में सुविधा की इष्ट से कृषक अपने सभी खसरों को आधार नम्बर से लिंक निम्नानुसार कराए-

- समग्र पोर्टल पर “eKYC करें” विकल्प के माध्यम से घर बैठे अथवा कॉमन सर्विस सेंटर/MPOnline/लोक सेवा केन्द्र पर
- <http://mpbhuanbhilekh.gov.in> पोर्टल पर पब्लिक यूजर द्वारा

19. किसान द्वारा विक्रय (सरल क्र. 12 से 14 में उल्लेखित फसल) की जाने वाली उपज के भण्डारण स्थल का पूर्ण पता एवं मात्रा

हस्ताक्षर उपार्जन केन्द्र प्रबंधक/प्रभारी

किसान/अगूठा हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं पिता/पति यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मध्यप्रदेश का किसान हूँ और उपरोक्त वर्णित समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य हैं एवं तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैंने अपनी इस जमीन का पंजीयन अन्य किसी केन्द्र पर नहीं कराया है। रबी उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के लिए मैं अपने आधार नंबर की जानकारी उपयोग करने सहमति प्रदान करता हूँ। यदि जांच उपरांत वर्णित कोई भी तथ्य असत्य/मिथ्या पाया जाता है तो इसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। मेरे गिरदावरी के आंकड़े का मिलान मैंने कर लिया है।

हस्ताक्षर किसान/अगूठा

नोट- पंजीयन हेतु निम्न दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित आयाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है-

1. समस्त बनाधिकार पट्टाधारी किसानों के पट्टा की प्रति।
 2. सिकमी/पट्टे की भूमि होने पर उसका निर्धारित प्रारूप में अनुबंध-पत्र एवं मूल भू-स्वामी की ऋण पुस्तिका की प्रति।
- यहां से काट के किसान को पावती दी जाए.....

रबी वर्ष 2024-25 में गेहूं उपार्जन हेतु पंजीयन की पावती

आवेदन क्रमांक

पिता/पति..... निवासी

श्री/श्रीमती..... द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन पत्र पंजीयन केन्द्र

ग्राम पर प्राप्त किया गया। जिसका पंजीयन क्र. है।

अधिकृत पंजीयनकर्ता के हस्ताक्षर

नोट- पंजीयन में गलत/भामक जानकारी देना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182, 418 तथा 420 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।